2.24.1

वन पंचायत जारती की बैठक कार्यवाही

दिनांक 08/03/2018 को वन पंचायत......जारती...... की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मार्ग निर्माण का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के सपरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0 [signature]

सरपंच

सरपंच
वन पचायत जारती
वि0 ख0 कपकोट (बागेश्वर)

दिनांक –

स्थान:–

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature]

सरपंच

सरपच
वन पचायत जारती
वि0 ख0 कपकोट (बागेश्वर)

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1. गोविन्द सिंह पंच व.न.पं० – [signature]
2. गोविन्दी देवी – गोविन्दी देवी
3. हेमा देवी हेमा देवी
4. चंचल राम – चंचलराम

रीमा

2.24.1

वन पंचायत रीमा... की बैठक कार्यवाही

दिनांक 25/2/18 को वन पंचायत ......रीमा...... की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मार्ग निर्माण का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के संरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तारित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0

सरपंच

दिनांक :-

स्थान :-

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

सरपंच [signature]

सरपंच
वन पंचायत रीमा पो. कापकोट
जनपद - बागेश्वर

1- नैन सिंह - नैन सिंह राठौर
2- दिवान सिंह - दिवान सिंह राठौर
3- खड़क सिंह - खड़क सिंह राठौर
4- शेर राम - शेर राम
5-
6- गोपाल - गोपाल राम
देवकी देवी - देवकी देवी

2.24.1

वन पंचायत पपोली की बैठक कार्यवाही

दिनांक 18/02/18 को वन पंचायत पपोली की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मार्ग निर्माण का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह०

सरपंच [signature]
सरपंच
वन पंचायत पपोली
पो०औ० छाकली, जिला–बागेश्वर

दिनांक :– 18/02/18
स्थानः– पंचायत भवन

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

श्रीमति – सुषमा देवी [signature]
श्रीमति – गंगा देवी [signature]
श्रीमति – भागरथी देवी [signature]
श्री – – जोगा सिंह
श्री – – राम सिंह

सरपंच [signature]
सरपंच
वन पंचायत पपोली
पो०औ० छाकली, जिला–बागेश्वर

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील का नाम **कपकोट** , जिला **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.315 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 1.225 हे0) अर्थात कुल 1.540 हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......जारती......द्वारा दिनांक 08/03/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...पं0 जारती ...जारती......के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि...लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र पंचायत वि.ख.-कपकोट
बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

ह0/– प्रधान
ग्राम पंचायत जारती
वि. ख. कपकोट (बागेश्वर)
ग्राम प्रधान

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

जारती

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम.– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 8/03/2018 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जारती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री दलीप सिंह S/o उत्तम सिंह	दलीपसिंह
2-	" दीवान सिंह S/o श्री गंगा सिंह	[illegible]
3	" कवीन्द्र सिंह S/o " दीवान सिंह	[illegible]
4-	" भूपाल राम S/o " नन्दन राम	[illegible]
5-	" शेर सिंह S/o " हयात सिंह	[illegible]
6-	" आन सिंह S/o बचे सिंह	आनसिंह
7-	" नन्दन राम S/o " गंगा राम	नन्दन राम
8-	" रामप्रसाद S/o " दीवानी राम	रामप्रसाद
9-	" भाकर राम S/o " धान राम	भांकर राम
10-	" हेमा देवी W/o डुंगर सिंह	हेमा देवी
11-	" खुशाल सिंह S/o बिजे सिंह	खुशालसिंह
12-	" गोविन्द राम S/o हिम्मत राम	गोविंद राम
13-	" धान सिंह S/o कुशाल सिंह	[illegible]
14	" महेन्द्र सिंह S/o प्रेम सिंह	Mahendra [illegible]
15	" बलवन्त सिंह S/o गोपाल सिंह	बलवन्तसिंह
16	" दर्वान सिंह S/o राम सिंह	Darpan [illegible]
17	" मनोज सिंह S/o लक्ष्मण सिंह	Manoj

प्रधान
ग्राम पंचायत जारती
वि. ख. कपकोट (बागेश्वर)

ह० ग्राम प्रधान

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति.........कपकोट..............

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.315 है0 सिविल भूमि, वन पचायत भूमि 1.225 है0) अर्थात कुल 1.540 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 25/07/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 25/07/2018 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री राकेश चन्द्र तिवारी उपजिलाधिकारी बागेश्वर अध्यक्ष
2– श्री बलवन्त सिंह शाही उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य
3– श्री गिरीश नबपुली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कपकोट सदस्य / सचिव
4– श्री सुन्दर राम बी0डी0सी0 क्षेत्र जारती सदस्य

उपजिलाधिकारी / उप प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य / ग्राम पंचायत जारती, वि० ख० कपकोट (बागेश्वर) / सहा0 समाज कल्याण अधिकारी, विकास खण्ड बागेश्वर, जनपद–बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी जी अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 1.450 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

प्रपत्र-- 23

परियोजना का नाम: - जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रीमा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रीमाक्वीटी
तहसील का नाम कपकोट , जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.315 है0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 1.225 है0) अर्थात कुल 1.540 है0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग** कपकोट के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रीमाक्वीटी द्वारा दिनांक 23/12/18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं, उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रीमा क्वीटी के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0 / -
ग्राम सचिव [signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र पं0वि.ख.-कपकोट
बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

ह0 / - राधिकादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत रीमा क्वीटी
ग्राम प्रधान वि0ख0--कपकोट (बागेश्वर)

नोट:-- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 23/2/2018 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत रीमा क्वीटी

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	कलीन्द्रसिंह	K.Singh
(2)	लक्ष्मसिंह	लक्ष्मसिंह
(3)	धीवानसिंह	[illegible]
(4)	धिरेन्द्रसिंह	
(5)	पूरनसिंह	पूरन सिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान
राधिका देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत रीमा क्वीटी
वि0ख0–कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति.........कपकोट.........

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.315 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 1.225 हे0) अर्थात कुल **1.540** हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 25/07/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 25/07/2018 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री राकेश चन्द्र तिवारी उपजिलाधिकारी.........बागेश्वर.........अध्यक्ष
2– श्री बलवन्त सिंह शाही उप प्रभागीय वनाधिकारी.........बागेश्वर.........सदस्य
3– श्री गिरीश नेगी (?) ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी.........कपकोट.........सदस्य
4– श्रीमती शीला साह ....बी0डी0सी0 क्षेत्र सुरकालीगाँव, उडिआर, रीमा.........सदस्य

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड बागेश्वर जनपद–बागेश्वर

उपजिलाधिकारी

क्षेत्र पंचायत सुरकालीगाँव वि0ख0–कपकोट जनपद–बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 1.540 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है:

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पपोली

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पपोली
तहसील का नाम **कपकोट** , जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.315 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 1.225 हे0) अर्थात **कुल 1.540** हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......पपोली......द्वारा दिनांक 18/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी. का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......पपोली ......पपोली......के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि.....[illegible]......प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत वि.ख.-कपकोट, बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

ह0/– ललिता देवी
ग्राम प्रधान
प्रधान, ग्राम पंचायत पपोली, ग्राम-पपोली, पो0-काफली, वि0ख0-कपकोट (बागेश्वर)

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजो भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 18/02/2018 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पपोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गोविन्द सिंह पपोली	[illegible] सिंह
2	श्री पूरन सिंह "	पूरन सिंह
3	श्री रतन सिंह "	[illegible]
4	श्री कुशल सिंह "	
5	श्री मोहन सिंह "	
6	रूप सिंह "	
7	श्री दीवान सिंह "	[illegible]
8	श्री तिलोक सिंह "	[illegible]
9	बलवन्त सिंह "	[illegible]
10	प्रवीन सिंह "	[illegible]
11	भूपाल सिंह "	
12	सुन्दर सिंह "	[illegible]
13	दीपक सिंह "	Deepak
16	मोहन सिंह "	[illegible]

ह0/– [illegible]
प्रधान

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत पपोली

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी **कपकोट**
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,......कपकोट......

उपखण्ड **कपकोट** परिक्षेत्र के जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.315 है0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 1.225 है0) अर्थात **कुल 1.540** है0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कपकोट**) की दिनांक....25/07/18.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कपकोट**) की दिनांक ....25/07/2018.... को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री...राकेश चन्द्र तिवारी... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री...राकेश चन्द्र तिवारी...उपजिलाधिकारी......बागेश्वर......अध्यक्ष
2– श्री ...बलवन्त सिंह शाही... उप प्रभागीय वनाधिकारी...बागेश्वर...सदस्य
3– श्री ...गिरीश कपूली...सहायक समाज कल्याण अधिकारी...कपकोट...सदस्य / सचिव
4– श्री ...सुन्दर राम...बी0डी0सी0 क्षेत्र...जारती, कपकोट...सदस्य

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड बागेश्वर
जनपद-बागेश्वर

सदस्य
क्षेत्र पंचायत जारती
वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु **1.450** है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी **बागेश्वर** अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु **1.540 हे0** वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड बागेश्वर
जनपद-बागेश्वर

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील....दुगनाकुरी....
जनपद....बागेश्वर....

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी....बागेश्वर....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड बागेश्वर
जनपद-बागेश्वर

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील....दुगनाकुरी....
जनपद....बागेश्वर....

<u>प्रपत्र– 23.3</u>

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 निर्माण हेतु **1.540है0** वन भूमि **<u>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट</u>** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **<u>बागेश्वर</u>** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

16/08/18

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 निर्माण हेतु **1.540हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

16/08/18

जिलाधिकारी
बागेश्वर

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of I RANJAN RAJGURU I.S. . deputy commissioner, Bageshwar on date ..16.8.18...at time 3.00. pm at Bageshwar in which application claiming rights in .... area measuring **1.540** hect for the **Construction of Jarti to Rima motor road (Length 6.00) in distt Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

16/08/18

जिलाधिकारी
बागेश्वर
District Level Committe

Place: Bageshwar

Dated: 16.8.18

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated* 16.8.18.

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.540** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Jarti to Rima motor road (Length 6.00) in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.540** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer…..**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers**.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Govenent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;……**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 16.8.18

16/08/18

District Collector जिलाधिकारी
Seal बागेश्वर
(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated.16.8.18*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.540** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Jarti to Rima motor road (Length 6.00) in distt Bageshwer .**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.540** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure……..to annexure…….
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of ……………………..Village (s) is enclosed as annexure……..
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

16/08/18

जिलाधिकारी
बागेश्वर

District Collector
Bageshwar